मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/189 दिनांक–30.01.2017

सूचना

(सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क निर्धारण के संबंध में)

''मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007'' के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई, सी.सी.आई.एम, पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई. एवं एन.सी.टी.ई. इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो एवं जिनके पाठ्यक्रम का शुल्क विनियमन सत्र 2016–17 तक हो अथवा जिन संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का शुल्क विनियमन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से न करवाया हो, के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क का विनियमन किये जाने संबंधित प्रस्ताव आमंत्रित करती है। सत्र 2016–17 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षण संस्थायें जिनके शुल्क का विनियमन समिति द्वारा सत्र 2016–17 के ब्लॉक में किया गया था उनके सत्र 2017–18 एवं 2018–19 के शुल्क पुर्नविनियमन/विनियमन के लिये अलग से विज्ञापन जारी किया गया है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा सत्र 2016–17 में शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव भरने की प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से समिति, सचिवालय की वेवसाईट www.afrcmp.org से कराई जा रही है।

मध्यप्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं से ''मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007'' के तहत प्रकाशित विनियम के अनुरूप सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिये प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु शुल्क विनियमन के संबंध में निर्धारित आवेदन पत्र, प्रोफार्मा एवं निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क के साथ प्रस्ताव समिति की वेवसाईट www.afrcmp.org पर संस्था के लॉगिन आई.डी. (यूजर आईडी) के माध्यम से भरने की कार्यवाही करें। आनलाईन फार्म फरवरी, 2017 के तृतीय सप्ताह से समिति की वेबसाईट www.afrcmp.org पर उपलब्ध रहेगा। निजी क्षेत्र की चिकित्सा/दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फार्म मार्च, 2017 के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध रहेंगे तथा अन्य समस्त संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फार्म मार्च, 2017 के अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध रहेंगे। अन्य संबंधित जानकारी, परीक्षण/निरीक्षण शुल्क भरने की प्रक्रिया एवं निर्देश इत्यादि संस्थाओं को अलग से इस सचिवालय द्वारा सूचित किये जा रहे हैं।

समिति छात्र/अभिभावक/अधिकृत संस्थाओं को निजी संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए संबंधित संस्था/पाठ्यक्रम के संबंध में उनका अपना पक्ष/सुझाव भी आमंत्रित करती है। छात्र/अभिभावक/अधिकृत संस्थायें अपना सुझाव समिति की वेवसाईट www.afrcmp.org पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/–
(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव